FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0039 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 05/12/2023 14:45 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/12/2023 **Time (समय):** 13:05 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/12/2023 13:57 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 130 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): कार्यालय नगर पालिका महेन्द्रगढ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ISHWER SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/04/1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416381286

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	चमन लााल तत्कालीन पालिका अभियन			1. नगर पालिका महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	राजाराम तताकालीन सचिव			1. नगर पालिका महेंद्रगढ़, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
3	रोहित सैनी निजी कम्पयुटर आपरेट			1. नगर पालिका महेंद्रगढ़, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
4	अन्य लाभार्थी वकर्मचारी अधिकार			1. शहरी स्थानीय निकाय विभाग, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम । श्रीमान जी, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ द्वारा CWP 30938 of 2019 मे दिनांक 14.11.2023 को आदेश दिये गये कि " The Matter is referred to the State Vigilance Bureau, Haryana for conducting an investigation, including the role, if any, of the senior officers of the department, in not taking a timely action vis-a-vis the illegal benefit(s) drawn by the beneficiaries thereof. Let a report in this regard be filed by the State Vigilance Bureau with in a period of eight weeks. List on 19.01.2024." याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21.12.2018,28.12.2018 व 18.01.2019 को तीन शिकायते राज्य चौक्सी ब्यूरों को दी गई थी जिन्हें जांच हेतु निदेशक,शहरी स्थानीय निकाय को भेज दिया गया था। परन्तु माननीय उच्च न्यायायल द्वारा अब इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को सौंप दी गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत निम्नलिखित हैं।

1. दिनांक 21.12.2018 को दी गई शिकायत में अंकित हैं। " विषयः- अतिरिक्त कार्यभार पर आये पालिका अभियन्ता श्री चमनलाल द्वारा कार्यालय से बाहर नियमों के विपरीत अवैध कालोनी के जारी अनापति प्रमाण पत्रों की जांच करने हेतु। उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि दिनांक 22.10.2018 को पालिका अभियन्ता श्री चमनलाल ने उपायुक्त महोदय के आदेश पर पालिका के कर्मचारी महावीर सैनी के माध्यम से पत्र भेजकर पालिका अभियन्ता का अतिरिक्त कार्यभार सम्भाला था। दिनांक 22.10.2018 से आज दिन तक किसी भी समय उपरोक्त पालिका अभियन्ता दफ्तर में नही आये है। गुप्त सूत्रो के अनुसार उपरोक्त पालिका अभियन्ता ने कार्यालय से बाहर कई अवैध कालोनी के अनापति प्रमाण पत्र नियमो के विपरित जारी कर दिये है तथा उनमें इन नियमो की पालना नही की है।

i. एक ही क्षेत्र की Bulk में फाईले की गई है।

ii. इन सभी फाईलों पर कार्यालयो की रिसिप्ट नम्बर नही है।

iii. इन सभी फाईलो पर कार्यालय का Dispatch नम्बर भी नही है। जो पालिका में लगा स्पेशल एन0ओ0सी0 रजिस्टर जो कि दिनांक 22.10.2018 के बाद आधा खाली है।

iv. इन फाईलों पर कनिष्ठ अभियन्ता, सचिव व प्रधान किसी के भी हस्ताक्षर मौजूद नही है।

v. इन फाईलों से पहले आमजन की इस कार्यालय में लगभग 200 अनापति प्रमाण पत्र की फाईले मौजूद है, उन सभी फाईलो को छोडकर उपरोक्त फाईलों के अनापति प्रमाण पत्र जारी किए गये है।

vi. अनापति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी नगर पालिका कार्यालय में ये मूल फाईले मौजूद नही है।

vii. इनकी आँनलाईन जी0-8 रशीद भी कार्यालय के कम्पयूटर से नही काटी गई है एंव कार्यालय के कम्पयूटर आपॅरेटर के अलावा बाहर के अन्य व्यक्ति/कम्पयूटर से कटवाई जा रही है।

viii. इनकी फीस भी कार्यालय में जमा ना होकर सीधी बैंक में ट्रांसफर की गई है।

ix. पालिका का N.O.C का फोरमेट भी उन्होने बदली कर दिया है। इसमें फोरमेट पालिका अभियन्ता व सचिव दोनों की प्रिन्टिगं मोहर होती है परन्तु पालिका अभियन्ता द्वारा केवल अपनी-2 मोहर प्रिन्टिगं करवाकर फोरमेट भी बदल दिया गया है।

x. पालिका अभियन्ता ने अपनी मोहर बाहर ही नई बनवा ली है।

xi. इन फाईलों पर कार्यालय की मोहर भी नही लगी है एंव डिस्पेच न0 भी अपना मनमानी नया रजिस्टर लगाकर लगा रहे है।

xii. इन फाईलों के संदर्भ में कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को कोई जानकारी नही है, ना ही उनसे कोई कार्य करवाता है।

xiii. ये अनापति प्रमाण पत्र प्रोपर्टी डिलरों से मिलकर अवैध कालोनियो को बढावा देने के लिए जारी कर दिए गये है।

xiv. ये अनापति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी अप्रुवल कालोनियों बाबत जारी नोटिफिकेशन के बाहर जाकर कई किले न

0 व कई खेवट न0 दिखाकर जारी की गई है।

xv. इन अनापति प्रमाण पत्रों के नक्से में Keyplan] हदुदर्भा की भी अनदेखी की गई है।

xvi. किसी भी जुनियर कर्मचारी जे0ई0/क्लर्क के लघु हस्ताक्षर भी नही है।

xvii. इन फाईलो की साईट का मौका भी नही देखा गया है।

xviii. इन फाईलों पर मुशितल नम्बर व किला नम्बर भी स्पेशल ना लिखकर कई किले नम्बर लिखे गये है, ताकि अप्रुवड कालोनियों को साथ दिखाकर अनअप्रुवड कालोनियों की अनापति प्रमाण पत्र जारी की जा सके।

xix. अतिरिक्त कार्यभार पर आए पालिका अभियन्ता किसी भी निति संगत फैसले को बदल नही सकते है। पूर्व रिकार्ड एंव नियामानुसार अनापति प्रमाण पत्र की फाईले पहले प्रधान/सचिव से मार्क होती है उसके बाद रिसिप्ट डायरी में इन्द्राज की जाती है। डिलिगं क्लर्क उन फाईलो को रिसिव करके जे0ई0/बी0आई0 को पूटअप करता है। जे0ई0 से रिपोर्ट होने के बाद टैकनिकल क्लर्क उन फाईलो को पालिका अभियन्ता के पास पूटअप करते है। उसके बाद सचिव के पास पूटअप होती है। उसके बाद प्रधान द्वारा अप्रुव की जाती है। उसके बाद कार्यालय के कम्पयूटर आपरेटर द्वारा कार्यालय के कम्पयूटर से ही रशीद काटी जाती है। अन्त में डिस्पेच रजिस्टर में इन्द्राज होने उपरान्त अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिन सबकी अनदेखी करते हुए पालिका अभियन्ता चमनलाल ने वन मैन आर्मी शो करते हुए अपनी मनमानी करके भ्रष्टाचार को फैलाया है।

इस प्रकार उपरोक्त सभी अनापति प्रमाण पत्र एक षडयन्त्र के तहत एक उच्च अधिकारी से पालिका अभियन्ता श्री चमनलाल व प्रापर्टी डिलर के साथ मिलीभगत करने के कारण अवैध कालोनियों को बढावा देने की नियत से भ्रष्टाचार के चलते जारी किए गए है।

अधोहस्ताक्षरी/प्रधान ने दो पत्र क्रमांक 1313 दिनांक 29.10.2018 व पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 19.11.2018 के अनुसार उपरोक्त पालिका अभियन्ता से स्पष्टीकरण मांगा हुआ है जिसका उन्होने आज दिन तक कोई जवाब नही दिया है।

पूर्व सचिव श्री विनय कुमार ने भी चमनलाल पालिका अभियन्ता को पत्र क्रमांक 1346 दिनांक 02.11.2018 के तहत लिखा कि चमनलाल पालिका अभियन्ता ने लगभग 25 अनापति प्रमाण पत्र बगैर रिसिप्ट एंव बगैर Dispatch के तथा वगैर सचिव एंव प्रधान के जारी कर दिए है। आज दिन तक ये मूल फाईल कार्यालय में मौजूद नही है तथा ना ही चमनलाल पालिका अभियन्ता आज तक कार्यालय में उपस्थित हुए है जिसका भी चमनलाल ने आज दिन तक कोई जवाब नही दिया है।

नये सचिव सन्दीप मलिक ने भी पत्र क्रमांक 1496 दिनांक 18.12.2018 के तहत इसी विषय पर 3 दिन के अन्दर-2 जवाब देने को लिखा एंव पत्र क्रमांक 1517 दिनांक 19.12.2018 को चमनलाल अतिरिक्त पालिका अभियन्ता को कार्यालय का कार्य कार्यालय में सोमवार व मंगलवार को कार्यालय में हाजिर रहने बारे में लिखा, परन्तु चमनलाल पालिका अभियन्ता ने कोई जवाब नही दिया, ना ही अधोहस्ताक्षरी/प्रधान के समक्ष पेश हुए है। जिससे पता चलता है कि श्री चमनलाल पालिका अभियन्ता अपनी मनमानी कर रहे है। प्रधान एंव सचिव के आदेशो को नही मान रहे है। प्रधान/सचिव के आदेश देने के बाद भी अनेको अनापति प्रमाण पत्र एंव नक्शे पहले वाले अपने मनमानी तरीके से नियमो को तोडकर अवैध कालोनियों के जारी कर रहे है। चमनलाल पालिका अभियन्ता कार्यालय में ना आकर बार-2 बाहर ही फाईल मंगवाकर भ्रष्टाचार फैला रहे है।

अतः अतिरिक्त पालिका अभियन्ता चमनलाल के द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए अवैध कालोनियों को बढावा देते हुए जारी किये गये है, सभी अनापति प्रमाण पत्रो एंव नक्शो की फाईले मंगवाकर विजिलैस जांच की जावे व उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएं। Sd- Reena garg प्रधान नगर पालिका महेन्द्रगढ ''।

2. दिनांक 18.01.2019 को दी गई शिकायत में अंकित हैं। '' विषयः- चमनलाल पालिका अभियन्ता रोहित सैनी बाहरी व्यक्ति व सचिव राजाराम आदि द्वारा भ्रष्टाचार फैलाते हुये अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत शिकायत। उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि पहले भी चमनलाल पालिका अभियन्ता, सचिव राजाराम

द्वारा भ्रष्टाचार फैलाते हुए अनेको अवैध कालोनी के अनापति प्रमाण पत्र जारी किये हुए है। जो कि यह आरोप आपके द्वारा की गई जांच में साबित हो चुके है।

उसके बाद भी उपरोक्त दोनों अधिकारी बगैर डरकर हठधर्मिता निभाते हुए अवैध कालोनियों के अनापति प्रमाण पत्र जारी कर रहे है। मैने इस बारे में अनेको पत्र उक्त अधिकारी के खिलाफ लिखे है, परन्तु उक्त पालिका अभियन्ता दफ्तर से बाहर बाहरी व्यक्ति रोहित सैनी से कम्पयूटर से बगैर कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के एन0ओ0सी0 जारी कर रहा है। जिनकी मूल फाईले भी कार्यालय के कर्मचारियों की रिपोर्ट अनुसार कार्यालय में नही है। अतः पालिका अभियन्ता, रोहित सैनी, सचिव राजाराम व अन्य के खिलाफ धोखाधडी, नियमो की अवहेलना एंव भ्रष्टाचार फैलाने बाबत मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्यवाही की जावे। इसने ये NOC दिनांक 22.10.2018 से लेकर आज तक दे रहे है। करीब 300 NOC जारी हो चुकी है। जिनका पालिका कार्यालय में कोई रिकार्ड नही है Sd- प्रार्थी Reena garg प्रधान नगर पालिका महेन्द्रगढ ”।

3. इसके अतिरिक्त एक शिकायत दिनांक 28.12.2018 को भी निदेशक SVB व पुलिस अधीक्षक SVB गुरूग्राम को प्रषित की गई जिसमें आरोपीगण द्वारा जिन-जिन कानुनों की अवहेलना की गई उन का जिकर किया गया हैं।

उक्त शिकायतो में अंकित सार के अवलोकन से चमनलाल तत्कालीन पालिका अभियन्ता, नगर पालिका, महेन्द्रगढ, राजाराम, तत्कालीन सचिव, नगर पालिका महेन्द्रगढ व रोहित सैनी निजी कम्पयूटर आपरेटर चमनलाल कार्यालय नगर पालिका, महेन्द्रगढ द्वारा धारा 420,218,120बी0 भा0द0स0 व 13 पी.सी एक्ट का अपराध किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता के साथ- साथ NOCs के लाभार्थियों के विषय में भी अनुसंधान किया जाना है। अतः उपरोक्त सभी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए ड्राफट तहरीर तैयार करके इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2393/ भ्र0नि0ब्यू0 गुरूग्राम दिनांक 22.11.2023 के अनुसार महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के कार्यालय मे अनुमोदन हेतू भेजी गई थी। महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 19728/सी0सी0/भ्र0नि0ब्यू0(ह0) दिनांक 04.12.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होकर इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है। जिसमे उनके कार्यालय द्वारा इस मामले मे अभियोग अंकित किये जाने बारे तहरीर को अनुमोदित किया गया है। आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हुँ । अतः उपरोक्त आरोपीयान के खिलाफ उपरोक्त धाराओ के अन्तगत अभियोग अंकित करने के लिए लेख तैयार करके सि0 विनोद कुमार न0 721/रेवाडी के माध्यम से थाना भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जाये। अभियोग की फाईल निरीक्षक राजकरण न0 130/नारनौल के पास आगामी अनुसंधान के लिये भिजवाई जावे । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जाए। SD निरीक्षक ईशवर सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र नारनौल। दिनांक – 05.12.2023 समय -12.50 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल बदस्त सिपाही विनोद कुमार न0 721/रेवाडी के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 राजकरण के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा सिपाही विनोद कुमार न0 721/रेवाडी के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ISHWER SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 264NNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.